समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. निगरानी/२५१/I/2017

प्रेमचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति बैरागी
निवासी ग्राम बिचगांवडी तह. बडौदा
जिला श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता/आवेदकग

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, श्योपुर

.....गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

M.V. Dubey
Advocate
Dist. Court Sheopur

पंजी नं. 102
दिनांक 17-1-17

द्वारा आज दि. 18-1-17 को
प्रस्तुत
18.1.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्व कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 03/2016–17/अ–21 में पारित आदेश से व्यथीत होकर।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :–

यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) तथा 158(3) के तहत आवेदन पत्र ग्राम राजपुरा उर्फ झुन्झुनीपुरा हल्का नं. 5 बासोंद तह. बडौदा जिला श्योपुर में स्थित अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कं. 47मि.1 रकबा 2.895 हे. में से अपना हिस्सा 0.965हे. में से 3 बीघा 10 बिस्वा के विकय की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 29.11.16 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी पर पारिवारिक खर्चो के कारण अत्यधिक कर्जा हो गया है। आवेदक ने परिवार में शादीयां, भात, इत्यादि में खर्चा करने के लिये कर्जा लेना पडा। आवेदक को उक्त भूमि से इतनी फसल भी नहीं होती है कि वह अपना कर्ज चुका सकें। प्रार्थी अपना कर्ज चुकाने के लिये अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को विकय करने का निश्चत किया हैं आवेदक की उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूदान भूमिस्वामी विकय से वर्जित के रूप में दर्ज है। इसकारण से उक्त भूमिं का विकय पत्र सम्पादित नहीं हो पा रहा था। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.16 को अपने अभिभाषक के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस समय प्रार्थी के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की

कमंश:.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/242/एक/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 03/16–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 17–01–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई है कि आवेदक की स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम राजपुरा उर्फ झुन्झुनीपुरा भूमि सर्वे क्रमांक 47 मि.1 रकबा 2.895 हेक्टयेर में से अपना हिस्सा 0.965 हेक्टयेर में से 3 बीघा 10 बिस्वा के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 10–01–2017 को इस आधार पर प्रस्तुत किया की प्रार्थी को पारिवारिक खर्चे के कारण अधिक खर्चा हो गया है एवं प्रार्थी को बीमारी के ईलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता है। आवेदक को उक्त भूमि से इतनी फसल भी नहीं होती की वह अपना कर्जा चुका सके। इस कारण से अपने कर्जा चुकाने एवं अपने ईलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता के लिये आवेदक को अपनी भूमि को विक्रय करने की	

	अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया आवेदक के उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रार्थी द्वारा बार निवेदन करने के बाद दिनांक 17-01-17 को उक्त आवेदन पत्र पर विक्रय की अनुमति के संबंध में कोई विचार नहीं क्रिया गया। बल्कि प्रकरण को पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय की ओर जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रेषित कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश एवं कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 4- आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अंपने तर्को में बताया गया की आवेदक द्वारा अपनी भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसे बीमारी का ईलाज कराने हेतु एवं अपने कर्जे को चुकाने हेतु रुपयों की आवश्यकता है जिस हेतु आवेदक ने भूमि को विक्रय करने हेतु अनुबंध अन्य व्यक्ति से किया है। इसलिये भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। आवेदक द्वारा शपथ-पत्र	

प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए थी। किंतु उनके द्वारा सद्भावना पूर्वक विचार किये बिना जो आदेश एवं कार्यवाही वर्तमान प्रकरण में की जा रही है वह विधिवत् नहीं होने से निरस्त की जाये एवं भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया है।

5– मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उपलब्ध अभिलेख के क्रम में यह देखना है कि क्या कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 17–01–2017 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है प्रकरण में जब समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे तथा बताया गया था कि आवेदक को बीमारी का ईलाज कराने एंव अपने कर्जे को चुकाने हेतु रुपयों की आवश्यकता है तब ऐसी स्थिति में विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिऐ थी। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17–01–2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक के अभिभाषक के तर्क अनुसार आवेदक अपनी भूमि का विक्रय ईलाज कराने हेतु एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना चाहिए था। प्रकरण में देखना यह है कि आवेदक भूमि विक्रय करने हेतु

पात्र है या नहीं क्योंकि पट्टे की भूमि पर 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पट्टाधारी भूमि स्वामी बन जाता है. इस संबंध में **रामचन्द्र उर्फ रामचरण एवं अन्य बनाम ईश्वर दीन, 2009 आर.एन. 119 अवलोकनीय है एवं एक अन्य दृष्टांत सविना पार्क रिसोर्ट्स एण्ड टूर्स प्राइवेट लि. ग्वालियर बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य 2012(2) MPLJ 363=2012(2) (MP-HC-SB) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि पट्टे को दस वर्ष बीत जाये तो बिना अनुमति के भी अंतरण किया जा सकता है।** क्योंकि पट्टाधारी को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाते है। वर्तमान प्रकरण में भी आवेदक को लगभग 20-25 वर्ष लगातार कृषि कार्य करते हो गये है। ऐसी स्थिति में आवेदक लगातार 10 वर्षो से भी अधिक समय से पट्टाधारी रहा है एवं कृषक के रूप में कार्य कर रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिया जाना न्याय हित में उचित समझता हूँ

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/2016-17/अ-21 में पारित आदेश दिनांक 17-01-2017 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम

राजपुरा उर्फ झुन्झुनीपुरा पटवारी हल्का नं. 05 तहसील बड़ौदा जिला–श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 47 मि.1 रकबा 2.895 हेक्टेयर में से अपने हिस्से की भूमि 0.965 में से 3 बीघा 10 बिस्वा के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर